दिनांक 4 जनवरी, 2020 को जमशेदपुर में भारत सेवाश्रम संघ द्वारा आयोजित त्रिशुल उत्सव एवं "Tribal Conference में माननीया राज्यपाल जी के अभिभाषण के मुख्य बिन्दुः—

- भारत सेवाश्रम संघ द्वारा आयोजित इस त्रिशुल उत्सव एवं "Tribal Conference में सम्मिलित होकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु मैं भारत सेवाश्रम संघ की सराहना करती हूँ।
- हमारा राज्य वीरों की भूमि है। यहाँ धरतीआबा बिरसा मुण्डा, बीर बुधु भगत, सिद्धो—कान्हु, चाँद—भैरव, डिबा किशुन, फूलो—झान्हो, जतरा उराँव समेत अनेक वीर उदाहरण हैं जिन्होंने देश एवं समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इनका जन्म जनजाति कुल में ही हुआ। वीरता और यश के लिए किसी विशिष्ट जाति और कुल की जरूरत नहीं है, आवश्यक है श्रेष्ठ कर्म की। इस अवसर पर मैं इन महान सपूतों के साथ अन्य सभी विभूतियों के प्रति भी अपनी श्रद्धा—सुमन अर्पित करती हूँ जिन्होंने देश एवं राज्य के लिए संघर्ष किया तथा अपनी जान तक की परवाह नहीं की।
- आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जनजातियों का है। अति प्राचीन काल से ही जनजातीय समुदाय भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। इन्हें विभिन्न नाम

जैसे– जनजाति, आदिवासी, वन्यजाति, गिरिजन आदि दिये गये हैं।

- भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द का उपयोग किया जाता है। इस समुदाय का इतिहास काफी समृद्ध रहा है। विश्व स्तर पर इसकी अमिट पहचान रही है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के ये अभिन्न अंग रहे हैं। जनजातियों की कला, संस्कृति, लोक साहित्य, परंपरा एवं रीति–रिवाज़ समृद्ध रही है। जनजातीय गीत एवं नृत्य बहुत मनमोहक है। ये प्रकृति प्रेमी हैं। इसकी झलक इनके पर्व–त्यौहारों में भी दिखती है। इस राज्य में ही विभिन्न अवसरों पर देखते हैं कि जनजातियों के गायन और नृत्य उनके समुदाय तक ही सीमित नहीं हैं, सभी के अंदर उस पर झूमने के लिए इच्छा जगा देती है।
- झारखंड राज्य में 3.25 करोड़ से अधिक की आबादी में जनजातियों की संख्या आबादी का लगभग 27 प्रतिशत है। राज्य में 32 प्रकार की अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिनमें PVTGs भी सम्मिलित हैं। जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा ग्रामों में निवास करते हैं।
- अनुसूचित जनजातियों के पास विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न प्रकार की विधा होती है। वे विभिन्न प्रकार की व्याधियों के उपचार की औषधीय दवा के सन्दर्भ में जानते हैं।

- अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनायें संचालित है। जनजातियों को भी अपने अधिकारों के प्रति व उनके लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक होने की जरूरत है।
- जनजातियों को अपनी संस्कृति, भाषा के प्रति सम्मान रखना चाहिये। उन्हें अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने चाहिये। जनजाति समाज में दहेज–प्रथा नहीं है, यह सुखद है।
- इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगी कि जनजातियों को शिक्षा के प्रति और अधिक जागरूक होने की जरूरत है। किसी भी राष्ट्र के सामाजिक–आर्थिक प्रगति में ज्ञान की अहम भूमिका होती है। कहते हैं– ज्ञान ही शक्ति है। ऐसे में जरूरी है कि सभी शिक्षित हों। चाहे वो बालक हो या बालिका।
- सिर्फ साक्षर ही हो जाना शिक्षा ग्रहण करना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अधिक–से–अधिक युवा उच्च शिक्षा ग्रहण करें। वे ज्ञानवान हो, नैतिकता एवं आदर्शों को समझें। आज के प्रतियोगितात्मक युग में अपना स्थान सुनिश्चित करें। यह ध्यान रहे कि आज मेधा की कद्र होती है।
- सरकार द्वारा जनजातियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति योजनायें चलाई जा रही है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पूर्व की

तुलना में जनजाति समुदाय के लोगों में पढ़ाई के प्रति ललक बढ़ी है।

- इतिहास साक्षी है कि जनजातीय समुदाय के बहुत से लोगों ने विपरीत हालात रहने पर भी मन में ललक रहने पर पूरे उमंग व उत्साह के साथ शिक्षा हासिल की है। आज हालात बदले हैं। पढ़ाई के लिए पूर्व की तुलना में बेहतर माहौल दिख रहे हैं। ऐसे में अधिक—से—अधिक लोग उच्च शिक्षा हासिल करें, हमारी यही कोशिश होनी चाहिये।
- इतना ही नहीं वे अन्य को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करें तथा विभिन्न कृतियों से समाज के समक्ष प्रेरणास्रोत बनकर उभरें। आप सभी क्षेत्रों में निपुण हो ताकि जैसे आज परंपरा एवं संस्कृति हेतु जनजातियों का पूरे विश्व में उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है।
- वैसे ही शिक्षा एवं ज्ञान के क्षेत्र में भी पिछड़े न कहा जाय, मिसाल पेश किया जाय। जब ऐसा होगा तो जनजाति समाज राष्ट्र के उन्नत समाजों में अहम होगा।
- मुझे आशा है कि भारत सेवाश्रम संघ द्वारा भवि य में भी जन—कल्याण हेतु और समर्पित भाव से कार्य किये जायेंगे।

जय हिन्द! जय झारखंड!